

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2020—आषाढ़ 19, शक 1942

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जून 2020

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-1573-2020.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 जून 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 9 जून 2017 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी			
अनु. क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	श्री शिवकांत पाण्डे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिन्दवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट, शहडोल, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर एवं सिंगरौली.”

F. No.1-5-96-XXI-B(One) 1573-2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No.1-5-96-XXI-B(One), dated 5th June 2017, which was published in Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 9th June 2019 namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE			
S. No.	Name of Judge	Headquarter	Jurisdiction of special court
(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	Shri Shivkant Pandey, Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Mandla, Sagar, Damoh, Seoni, Chhindwara, Rewa, Satna, Panna, Sidhi, Balaghat, Shahdol, Katni, Dindori, Umaria, Anuppur and Singrauli.”

फा. क्र. 17-(ई)-44-2013-इक्कीस-ब-(एक)-1574-2020.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 7, 16, 17, 28, 30, 33 तथा 43 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी		
क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
“3.	बैतूल	श्री अफसर जावेद खान, सेशन न्यायाधीश, बैतूल

(1)	(2)	(3)
7.	छिन्दवाड़ा	श्री शशिकांत वर्मा, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा
16.	होशंगाबाद	श्री जय प्रकाश सिंह, विशेष न्यायाधीश, होशंगाबाद
17.	इन्दौर	श्री अमित कुमार गुप्ता, तेईसवें, अपर सेशन न्यायाधीश, इन्दौर
28.	राजगढ़	श्री अजय श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, राजगढ़
30.	रीवा	श्री संजीव सिंघल, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा
33.	सीहोर	श्री विजय चन्द्रा, विशेष न्यायाधीश, सीहोर
43.	विदिशा	श्री आत्मा राम टांक, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, विदिशा.”

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E)-44-2013-XXI-B (One) 1574-2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11<sup>th</sup> September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20<sup>th</sup> September, 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 3, 7, 16, 17, 28, 30, 33 and 43 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

#### TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
“3.	Betul	Shri Afsar Javad Khan, Sessions Judge, Betul
7.	Chhindwara	Shri Shashikant Verma, IV Additional Sessions Judge, Chhindwara.
16.	Hoshangabad	Shri Jai Prakesh Singh, Special Judge, Hoshangabad
17.	Indore	Shri Amit Kumar Gupta, XXIII Additional Sessions Judge, Indore.
28.	Rajgarh	Shri Ajay Shrivastava, Special Judge, Rajgarh
30.	Rewa	Shri Sanjeev Singhal, II Additional Sessions Judge, Rewa
33.	Sehore	Shri Vijay Chandra, Special Judge, Sehore
43.	Vidisha	Shri Atma Ram Taunk, Ist Additional Sessions Judge, Vidisha.”

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 2581-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 553-गोपनीय-2020-II-2-9-97, दिनांक 3 जून 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारी को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री देवीलाल सोनिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी.	सीधी	सीधी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी की हैसियत से श्री अजय कांत पाण्डेय के स्थान पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2020

फा. क्र. 2569-2382-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 3361-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 27 जून 2019 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक, श्री सत्यम अग्रवाल, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 27 अप्रैल 2020 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें मासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020

फा. क्र. 2485-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्र. 2243-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 6 जून 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए "श्री अभय प्रकाश सहाय" के स्थान पर "श्री अभय प्रकाश सहाय ललन" करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

### औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2020

क्र. एफ-09-01-2020-बी-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं नियुक्त करता है:—

अनु. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	अधिनियम की धाराएं (3)	क्षेत्र (4)
1	श्री बी. एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39	रीवा शहडोल संभाग, रीवा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के बरोनिया, अपर सचिव.

### अध्यात्म विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2020

क्र. एफ-7-2-2020-अडसठ.—राज्य शासन एतद्वारा अध्यात्म विभाग के अन्तर्गत चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक चिन्हांकित किये गये राम वनगमन पथ के निर्माण हेतु श्री राम वनगमन पथ न्यास के गठन की स्वीकृति प्रदान करता है। श्री राम वनगमन पथ न्यास चित्रकूट से शुरू होने वाली श्री रामगमन पथ के प्रदेश सीमा तक, निर्माण कार्य करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीता राठौर, उपसचिव.

Bhopal, the 26th June 2020

S.O.....(E),\_\_ Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the **Department of Micro, Small & Medium Enterprises, Madhya Pradesh** (hereinafter referred to as the Department), is administering the '**Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojna**' (hereinafter referred to as the scheme) by providing loan to young entrepreneur for self-employment, which is being implemented through the **Directorate of industries, Madhya Pradesh** at the state level (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, **margin money subsidy, interest subsidy & CGTMSE fee (hereinafter referred to as the benefit)** is given to the young entrepreneur (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the government of **Madhya Pradesh**, hereby notifies the following, namely: -

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: -

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely: -
  - (i) Bank or Post office passbook with photo; or
  - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
  - (jii) Passport; or
  - (iv) Ration Card; or
  - (v) Voter identity Card; or
  - (vi) MGNREGA card, or
  - (vii) Kisan Photo passbook, or
  - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (S9 of 19BB); or
  - (ix) certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
  - (x) any other document as specified by the Department

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -
  - (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
  - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar one Time password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
  - (c) in all other cases where biometric or Aadhaar one Time password or Time-based one-Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency .
4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19<sup>th</sup> December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

F. No. F 02-01/2020/A-73

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh  
PARWAT SINGH, Dy. Secy.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2020

## सूचना

क्र. एफ-3-32-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 7353/टीसी/48/छतरपुर/उपां/नग्रनि/2018, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :—

## अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सौरा तहसील छतरपुर जिला छतरपुर	293, 445	3.26 2.10	कृषि तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक.	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु).
योग . .			5.36		

उपरोक्त उपांतरण छतरपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

भोपाल, दिनांक 18 जून 2020

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 3-6 फरवरी 2020 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल/उपवनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 3 फरवरी 2020 को प्रथम-प्रक्रिया, दिनांक 4 फरवरी 2020 को द्वितीय-लेखा, दिनांक 5 फरवरी 2020 को तृतीय-सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 3 फरवरी 2020 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 4 फरवरी 2020 को द्वितीय-सामान्य विधि तथा दिनांक 5 फरवरी 2020 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

## वनक्षेत्रपाल, उपवनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)
(1)	(2)	(3)	(4)
भोपाल संभाग			
1	श्री धरमपुरी गोस्वामी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि



(1)	(2)	(3)	(4)	
2	श्री विजय करण वर्मा	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
3	श्री के. एल. त्रिपालिया	उपवनक्षेत्रपाल	—	—
4	श्री चन्द्र सिंह भिलाला	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा —
5	श्री पी. एस. बडेरा	उपवनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा —
6	श्री शिरोमणी मीणा	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
7	श्री जगदीश प्रसाद रघुवंशी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
9	श्री गयाप्रसाद त्रिपाठी	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	— तृतीय-सामान्य विधि
10	श्री लालजी उइके	उपवनक्षेत्रपाल	—	—
11	श्री बडगूलाल उइके	उपवनक्षेत्रपाल	—	— तृतीय-सामान्य विधि
12	श्री सुखनंदन आतरामे	उपवनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा —
13	श्री झलकनशाह उइके	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
14	श्री नागेश्वर प्रसाद तिवारी	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
15	श्री वैदेहीशरण मिश्रा	उपवनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
16	श्री रामगोपाल पांडे	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
17	श्री नयनकुमार पालवी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
18	श्री जी. पी. शाक्य	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
19	श्री तुलसीराम भलावी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
20	श्री रुपकिशोर दीक्षित	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
21	श्री शिवनारायण श्रीवास्तव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
22	श्री राजेन्द्र प्रसाद सौर	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
23	श्री लखन सिंह ठाकुर	उपवनक्षेत्रपाल	—	—
24	श्री शिवराम राय	उपवनक्षेत्रपाल	—	—
25	श्री दशरत सीग गौड़	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
26	श्री दिलीप सिंह भलावी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
27	श्री शिवकुमार चौहान	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
28	श्री अवधनारायण इवने	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
29	श्री द्वारका प्रसाद तेकाम	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
30	श्री बोरेलाल धुर्वे	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
31	श्री निखलेश शर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—
32	श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि
33	श्री कैलाश चन्द्र उइके	उपवनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा —
34	श्री छगन सिंह भिलाला	उपवनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा —
35	श्री भगवान सिंह कीर	उपवनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि

## ग्वालियर संभाग

36	श्री देवेन्द्र कुमार नायक	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	—
37	श्री बी. आर. भगत	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	—
38	श्री मनोज सिंह बघेल	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	तृतीय-सामान्य विधि
39	श्री लाल बाबू तिवारी	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	तृतीय-सामान्य विधि
40	श्री राम सिंह यादव	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
41	श्री अमर सिंह	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
42	श्री राजेन्द्र परतौर	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	—
43	श्री कौशलेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)		
44	श्री बृजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	—
45	श्री लीलाधर शाह	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि
46	श्री घनश्याम सिंह चौहान	उपवनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
47	श्री ए. के. तिवारी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	—
48	श्री दीपक शर्मा	वनक्षेत्रपाल	—	—	—
49	श्री सुनील सिंह सेंगर	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	—
50	श्री महेश प्रसाद शर्मा	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि
51	श्री उमेश सिंह राठौड़	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	—
52	श्री भूपेन्द्र वर्मा	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि
53	श्री सचिन कुमार शर्मा	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
54	श्री दिनेश कुमार गोयल	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	—
55	श्री लक्ष्मीनारायण शाक्य	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	—
56	श्री तुलसीराम चौपड़ा	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	—
57	श्री कल्याण प्रसाद जाटव	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि
58	श्री आशीष समाधिया	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि
59	श्री जगदीश प्रसाद चिकवा	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि

#### इन्दौर संभाग

60	श्री संतोष चन्द्र पराशर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	—
61	श्री किशोर दशोरे	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा	—
62	श्री दिनेश ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	—
63	श्री जितेन्द्र कुमार पारासर	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
64	श्री संजय कुमार मालवीय	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
65	श्री अभयसिंह तोमर	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	—	द्वितीय-लेखा	—
66	श्री रामगोपाल दशोरे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
67	श्री असीम भूरिया	वनक्षेत्रपाल	—	—	—
68	श्री मनोज चोहरे	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	तृतीय-सामान्य विधि
69	श्री विनोद तारे	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	तृतीय-सामान्य विधि
70	श्री सखाराम सेते	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	तृतीय-सामान्य विधि
71	श्री अभय सिंह कनेश	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि
72	श्री जुवान सिंह कनेश	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि
73	श्री अमनसिंह बघेल	उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
74	श्री प्रभाकर गीते	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	—
75	श्री आजाद कुमार नगोरिया	वनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि
76	श्री रतन सिंह सिगोड़	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
77	श्री घनश्याम नाईक	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	—
78	श्री शारदा प्रसाद वर्मा	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	—

#### जबलपुर संभाग

79	श्री राजेन्द्र प्रसाद हरदहा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	—
80	श्री छोटेलाल कोल	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय लेखा	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	श्री दीपक राज प्रजापति	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
82	श्री श्रीकण्ठ शर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	—
83	सुश्री अंजू वर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	—	—
84	श्री नरेश कुमार ककोडिया	वनक्षेत्रपाल	—	—	—
85	सुश्री प्रियंका मरकाम	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
86	श्री आशीष रावत	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
87	श्री तेजपाल सिंह सिकरवार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया	द्वितीय-लेखा	तृतीय-सामान्य विधि
88	श्री कैलाश बहादुर श्रीवास्तव	उपवनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-सामान्य विधि

### सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>भोपाल संभाग</b>					
1	श्री रामस्वरूप उईके	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
2	श्री सचिन कुमार गुप्ता	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
3	श्री विजय कुमार बारस्कर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
4	श्री अमित कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—	—
5	श्री प्रिवेश वराडे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
6	श्रीमती प्रीति ककोडिया	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-सामान्य विधि	—
7	श्रीमती विद्या गिनारे	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-सामान्य विधि	—
8	श्री दीपक तिरपुडे	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-सामान्य विधि	—
9	श्री नयन कुमार पालवी	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-सामान्य विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
10	श्रीमती रिकी आर्य	वनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
11	श्रीमती संतोशिया मरावी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
12	श्री कीर्तिबाला गुप्ता	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
13	सुकृति ओसवाल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—	—
14	तिलक सिंह रायपुरिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
15	हीरालाल पटेल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	—
16	प्रियंका बाथम	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—	—
17	सुभाष शर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
18	डी. के. मराठा	वनक्षेत्रपाल	—	—	—

### ग्वालियर संभाग

19	कु. कृतिका शुक्ला	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
20	बृजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	वनक्षेत्रपाल	—	—	—

### इन्दौर संभाग

21	श्रीमती पुष्पलता मोर्य	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—	—
22	श्रीमती माया मुजाल्दे	वनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
23	श्री दिनेश ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	—	—	—
24	श्री लक्सा सोलंकी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)		
25	श्री मुकुन्दसिंह नोरके	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	—
26	श्री मंगेश बुन्देला	वनक्षेत्रपाल	—	—	—
27	श्री रामप्रसाद चौधरी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	—
28	श्री ओमप्रकाश शर्मा	वनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
29	श्री अमित खन्ना	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—	—

**जबलपुर संभाग**

30	श्री कलुआ कुम्हार	वनक्षेत्रपाल	—	—	—
----	-------------------	--------------	---	---	---

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

**अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय**

शैक्षणिक परिसर, निर्मला देवी मार्ग, कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र. अकादमी-अबिवाहिवि-2020-1886.—मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2011 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है. विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के बेरोजगार युवा-युवतियों को शिक्षा, रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना, नवाचार पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन करना एवं पिछड़े असहाय एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा देना है.

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 34(घ) के अन्तर्गत निर्मित परिनियम क्रमांक 13 में अध्ययन/शिक्षा केन्द्रों तथा संस्थाओं के संचालन और प्रबंधन नियम बनाये गये हैं. इसी क्रम में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28 फरवरी 2020 के निर्णयानुसार शासन एवं विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार न आने की स्थिति में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था रखने की स्वीकृति दी जाती है. इस निर्णय द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपचार/योग शिक्षा/प्राकृतिक आयुर्वेद/प्रबंधन/फैशन अभिकल्पन के पाठ्यक्रम सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाना अधिसूचित किया जाता है.

ऐसे अध्ययन केन्द्र, एक्सटेंशन सेन्टर/सहयोगी संस्था, भौतिक अधोसंरचना (भवन, फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला एवं छात्रों के बैठने आदि की व्यवस्था) शैक्षणिक अधोसंरचना (अध्यापनरत शिक्षकों की व्यवस्था, अध्ययन एवं अध्यापन हेतु सुविधा, लाइब्रेरी एवं पुस्तक आदि की व्यवस्था) संबंधी कार्य करेगी एवं विश्वविद्यालय छात्रों का रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क, परीक्षा संबंधी अन्य गतिविधियां सुनिश्चित करेगा. विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रों पर भौतिक व शैक्षणिक अधोसंरचना एवं अध्ययन-अध्यापन छात्रों के प्रवेश से प्राप्त राशियों से वित्तीय व्यय किया जावेगा.

आदेशानुसार,

डॉ. विजय कुमार सिंह, कुलसचिव.

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल

“कंचनार” ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक 2518-अमृत-वि.यो.-नग्रानि-2020

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2020

सूचना

म.प्र. राजपत्र में दिनांक 06.03.2020 को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-18 के अंतर्गत भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 पर आपत्ति या सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किए गए हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण राज्य शासन द्वारा चरणवार घोषित लॉकडाउन की अवधि में जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किए जाने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. राजपत्र में दिनांक 08.06.2020 को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किए जाने की संशोधित अवधि भोपाल के लिए घोषित अंतिम लॉकडाउन के अवसान होने के उपरांत 30 दिवस का समय निर्धारित किया गया था।

लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में, आमजनों को आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई शेष नहीं होने से तथा म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-32/2020/18-5 भोपाल, दिनांक 06.07.2020 के परिपालन में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किए जाने की अवधि इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी।

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 06.03.2020 एवं दिनांक 08.06.2020 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट <http://mptownplan.gov.in/Bhopal-Draft-2031.htm> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. जिला कलेक्टर, भोपाल
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, म.प्र.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल या ई-मेल आई.डी. [obj-sugg-bpl@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-bpl@mp.gov.in) में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

### Notice

Through the notification dated 06.03.2020 published in the Madhya Pradesh Gazette, objections or suggestions on the draft Bhopal Development Plan, 2031 have been invited within 30 days under Section-18 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Normal activities of the general public were restricted in the period of lockdowns declared phase-wise by the State Government due to Covid-19 epidemic. Therefore, in view of the possible difficulties to the general public in submitting objections or suggestions under those circumstances, it was notified by notification dated 08.06.2020 in Madhya Pradesh Gazette that the amended period for submission of objections or suggestions on the said Draft would be 30 days after the expiry of the last lockdown for Bhopal in the series of continuing lockdowns.

In view of unlocking of lockdown in phased manner and the fact that there is no further difficulty to the general public in submission of objections or suggestions and in pursuance of order no F-3-32/2020/18-5, Bhopal, dated 06.07.2020 of the Department of Urban Development & Housing, Government of Madhya Pradesh, it is hereby informed that the duration for submission of objections or suggestions on the said draft shall be 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

In continuation of the said notices, dated 06.03.2020 and 08.06.2020, it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate - <http://mptownplan.gov.in/Bhopal-Draft-2031.htm> and at following offices during office hours namely :-

- 1- Commissioner, Bhopal Division, Bhopal
- 2- Collector, District Bhopal
- 3- Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal
- 4- Joint Director, Town and Country Planning, District Office Bhopal, M.P.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, District Office Bhopal or on email ID- [obj-sugg-bpl@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-bpl@mp.gov.in), before expiry of the stipulated period for due consideration.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1093-भू.प्र.-2020

ग्वालियर, दिनांक 9 जुलाई 2020

### भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है की नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं -

सरल क्र.	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर क्र.	भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डिंडोरी	डिंडोरी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	डिंडोरी	शहपुरा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

3	डिंडोरी	बजाग	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	हरदा	हरदा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	हरदा	टिमरनी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	हरदा	खिरकिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	हरदा	रहटगाँव	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	हरदा	सिराली	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9	हरदा	हंडिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद,  
मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 11 जून 2020

क्र. 148-दो-16-8-15.—श्री इकबाल खान गौरी, विशेष न्यायाधीश, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री इकबाल खान गौरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2020 को (शेष संचित अर्जित अवकाश 262 में से 202 दिवस की पात्रता अनुसार एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश 554 दिवस के आधार पर) निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की

स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                  |       |
|------------------|-------|
| 1. अर्जित अवकाश  | — 202 |
| अर्द्धवैतन अवकाश | — 98  |

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 202 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

- (ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश =  $\frac{\text{अर्द्धवैतनिक अवकाश}}{30} \times 98$  के एवज में नगद भुगतान.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

## कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 18 जून 2020

क्र. 23-व्यक्ति-2018.—माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक ए-988-चार-8-42-77-भाग-सोलह, जबलपुर दिनांक 18 मई 2020 में दिये गये निर्देशानुसार मैं, डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, शहडोल का दिनांक 6 से 13 जून 2020 तक कुल आठ दिन का कम्यूटेड अवकाश मय मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत करता हूँ.

- (1) अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को पुनः पदस्थापित किया जाता है.
- (2) कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी तहसील सिलवानी जिला-रायसेन मध्यप्रदेश

“आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” के तहत निजी भू-धारक की भूमि के क्रय का प्रस्ताव

सावर्जनिक सूचना

सिलवानी, दिनांक 1 जून 2020

क्र. 26-री-2020.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की “आपसी सहमति से क्रय नीति” के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा मगरमौली-हतौड़ा मार्ग पर तेन्दूनी नदी पर पुल निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य ना होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी.

क्र.	भूमि स्थित ग्राम का नाम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	क्रय के लिये प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	पूरन पुत्र-हल्कू व अन्य दो जाति-गौंड नि. ग्रा-मगरमौली.	158/3/2	0.202
2	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	राधेलाल आ. सुंदरलाल जाति-रघुवंशी नि.ग्रा-हतौड़ा	22/1/12	0.056
3	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	शब्बो बाई/नन्दलाल गाडरी नि. ग्राम.-मगरमौली.	158/1/1	0.050
4	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	राजेन्द्र सिंह आ. राधेलाल रघुवंशी नि. ग्रा-मगरमौली.	22/1/13	0.054
5	मगरमौली	सिलवानी	रायसेन	लीलावती बेवा रामप्रसाद जाति चमार नि. ग्रा-हतौड़ा.	22/1/14	0.040



क्र. 02-अ-82-री-2020

सिलवानी, दिनांक 4 जून 2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की "आपसी सहमति से क्रय नीति" के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा भानपुर चुन्हेटिया मार्ग पर तेन्दूनी नदी पर पुल निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य ना होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्रं.	भूमि स्थित ग्राम का नाम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	क्रय के लिये प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	लक्ष्मी प्रसाद आ० बाबूलाल जाति- केवट नि.ग्रा- भूमि स्वामी	22/2/2 21/2/2/2	0.021 <u>0.051</u> 0.072 (सि)
2	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	सकुन बाई वेवा रामकिशोर केवट एवं अन्य जाति- केवट	21/2/1	0.27 (सि)
3	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	लाखन सिंह आ० बाबूलाल जाति- केवट नि.ग्रा. - भूमि स्वामी	28/2	0.072 (सि)
4	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	हीरालाल आ० गयाप्रसाद जाति - केवट नि.ग्रा. - भूमि स्वामी	47 48	0.056 <u>0.093</u> 0.149 (सि)
5 (अ)	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	हीरालाल, रामकृष्ण आ० गयाप्रसाद गोविन्द आ० नन्हा हरिबाई बेवा चतरा बगैरह	24 25	0.049 <u>0.028</u> 0.077 (सि)
5 (ब)	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	हीरालाल, रामकृष्ण आ० गयाप्रसाद गोविन्द आ० नन्हा हरिबाई बेवा चतरा बगैरह	26	0.019 (अ,सि)
6	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	यशवंत सिंह आ० उमराव सिंह जाति- कुर्मी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	127/2	0.202 (सि)
7	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	माधोसिंह आ० उमराव सिंह जाति- कुर्मी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	127/4	0.104 (सि)
8	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	कमल सिंह आ० नर्मदा प्रसाद जाति- कुर्मी नि.ग्रा भूमि स्वामी	275/47	0.009 (सि)
9	चुन्हेटिया	सिलवानी	रायसेन	इन्द्रजीत सिंह आ. धर्मवीर सिंह जाति- राजगौड़ नि.ग्रा- चुन्हेटिया	182	0.162
10	चुन्हेटिया	सिलवानी	रायसेन	उर्मिला बेवा- सुरेश कुमार धमेन्द्र,	177	0.121
				धीरेन्द्र, जीतेन्द्र आ. सुरेश कुमार जाति - ब्राह्मण नि ग्रा- चुन्हेटिया		0.036 <u>0.157</u>
11	चुन्हेटिया	सिलवानी	रायसेन	राजकुमारी बेवा महताब सिंह आ. दिलदार सिंह जाति- राजगौड़ नि. ग्रा- चुन्हेटिया	178	0.012
12	चुन्हेटिया	सिलवानी	रायसेन	नीलेश कुमार आ० दिनेश कुमार जाति राजगौड़	176	0.064

एल. के. खरे, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 08-अ-82-17-18-भू-अर्जन-3668

सागर, दिनांक 11 जून 2020

मौजा चौकी पट.ह.नं.-29 तहसील राहतगढ़

भू-अर्जन प्रकरण 08अ/82/2017-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा चौकी पटवारी हल्का नंबर-29 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 28/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 27/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 की प्रावधानित कार्यवाहियां स्थानीय व्यापक विरोध एवं स्थल पर कार्य अवरुद्ध किये जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः परियोजना हेतु भू-अर्जन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवार्ड पारित किये जाने के लिये अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 13-अ-82-17-18-भू-अर्जन-3665

मौजा मनकापुर पट.ह.नं.-29 तहसील राहतगढ़

भू-अर्जन प्रकरण 13अ/82/2017-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा मनकापुर पटवारी हल्का नंबर-29 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 28/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 27/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 की प्रावधानित कार्यवाहियां स्थानीय व्यापक विरोध एवं स्थल पर कार्य अवरुद्ध किये जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः परियोजना हेतु भू-अर्जन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवार्ड पारित किये जाने के लिये अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 33-अ-82-17-18-भू-अर्जन-3667

मौजा मसानिया पट.ह.नं.-29 तहसील राहतगढ़

भू-अर्जन प्रकरण 33अ/82/2017-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा मसानिया पटवारी हल्का नंबर-29 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 28/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 27/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 की प्रावधानित कार्यवाहियां स्थानीय व्यापक विरोध एवं स्थल पर कार्य अवरुद्ध किये जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः परियोजना हेतु भू-अर्जन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवार्ड पारित किये जाने के लिये अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 05-अ-82-20-21-3840

सागर, दिनांक 22 जून 2020

**मौजा कंदारी पट.ह.नं.-36 तहसील बण्डा****:: प्रारंभिक अधिसूचना ::**

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-I-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
- |                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1. जिला                     | : | सागर      |
| 2. तहसील                    | : | बण्डा     |
| 3. ग्राम                    | : | कंदारी    |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 36        |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 2.200 है. |

**:: अनुसूची-1 ::**

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36/1	0.180	0.090	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	37/1	0.170	0.090	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	41/1	1.130	0.210	कृषि भूमि
2	प्रीतम सिंह वल्द भगवान सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36/2	0.170	0.020	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	37/2	0.170	0.020	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	40/2	0.220	0.010	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	41/2	1.120	0.470	कृषि भूमि
3	कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42	0.690	0.220	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	713	0.680	0.050	कृषि भूमि
4	धन्नी पिता शंकर दशोदाबाई पुत्री शंकर गिरवर पिता उमराव दयाराम नन्नेलाल पिता वक्ते अमोल रगवीर प्रदीप नंदकिशोर पिता नन्ना पूनाबाई वेवा नन्ना साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	682	0.590	0.210	कृषि भूमि
5	गुलाबसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	683	0.220	0.070	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	684/1	0.470	0.260	कृषि भूमि
6	रामसींग पिता गोकलसींग दांगी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	684/2	0.320	0.070	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	686	0.200	0.010	कृषि भूमि
7	महतापसींग पिता मुलुसिंह राधारानी वेवा फेरनसींग निखता चित्तर पिता फेरनसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	685/1	2.170	0.010	कृषि भूमि

8	सूरतसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	687/1	0.400	0.110	कृषि भूमि
9	अनुरुद्ध पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	687/2	0.580	0.100	कृषि भूमि
10	मंगलसिंह पिता शिवराज कौशल्याबाई देवा शिवराज साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	711	1.030	0.050	कृषि भूमि
11	कौशल्याबाई देवा शिवराज रजनी देवा मंगलसिंह कृपालसिंह नाबा पिता मंगल सिंह कृष्णराज नाबा पिता मंगलसिंह गजेन्द्र सिंह नाबा पिता मंगल सिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	721/1	3.490	0.080	कृषि भूमि
12	कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	712	0.370	0.050	कृषि भूमि
योग:-			20	14.370	2.200	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 06-अ-82-20-21-3841

## मौजा रीछई बिनैका पट.ह.नं.-29 तहसील बण्डा

## :: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-I-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : बण्डा
  3. ग्राम : रीछई बिनैका
  4. पट.ह.नं.- : 29
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.210 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	शैलेन्द्र पिता लक्ष्मनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	15/2	1.200	0.440	कृषि भूमि
2	गोविन्द सींग देवेन्द्र सींग पिता करनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	31/2	0.600	0.200	कृषि भूमि
3	दरयावसिंह पिता गिरवर सिंह लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	31/3	2.300	0.500	कृषि भूमि
4	करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	32/1	0.290	0.440	कृषि भूमि
5	करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	32/2	0.290		कृषि भूमि
6	राजमहेन्द्र अमरसिंह पिता रतनसिंह गायत्रीबाई वेवा रतनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33	0.630	0.120	कृषि भूमि
7	अनंतसींग पिता गिरबर सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/2	0.600	0.120	कृषि भूमि
8	रतीराम वल्द धनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	40/1	0.560	0.300	कृषि भूमि
9	रामचरन पिता चत्ते साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	81/1	0.750	0.060	कृषि भूमि
10	जुगराज पिता सीताराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43	0.220	0.200	कृषि भूमि
11	नन्तराम पिता काशीराम निवासी सेमरादांत भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	44	0.340	0.260	कृषि भूमि
12	खरे पिता बखतसींग राय साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	45	0.090	0.090	कृषि भूमि
13	जानकीप्रसाद जगदीश प्रसाद नरहरी पिता छोटेला साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46	0.650	0.090	कृषि भूमि
14	रामप्रसाद पिता चत्ते साकिन बण्डा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	81/2	0.750	0.030	कृषि भूमि

15	परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	82	0.100	0.090	कृषि भूमि
16	परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	83	0.290	0.270	कृषि भूमि
योग:-			16	9.660	3.210	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सुजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 07-अ-82-20-21-3842

मौजा मगरधा पट.ह.नं.-28 तहसील बण्डा

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के

अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
  2. तहसील : बण्डा
  3. ग्राम : मगरधा
  4. पट.ह.नं.- : 28
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 5.480 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	राजाराम वल्द नारानजहू क्रांतिबाई वेवा इमरतसींग साकिन बहरोल भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43/1	0.800	0.230	कृषि भूमि
2	राकेश पिता विजय सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43/2/2	0.400	0.250	कृषि भूमि
3	कपिल नाबा. अमन नाबा. विनीता नाबा. पिता कल्याण सिंह वली व खुद माँ बैजन्तीबाई वेवा कल्याणसींग राजकुमारी नाबा. शि ल्पी नाबा. पिस. वीरसिंह वली व खुद माँ ववीता वेवा वीरसींग केतकीबाई पुत्री कुदूसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	48	0.640	0.230	कृषि भूमि
4	जोधनसींग पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	54	0.530	0.010	कृषि भूमि
5	राहुल रोहित नाबा. पिता भोपालसींग पालक माँ कुन्तीबाई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	55	0.790	0.280	कृषि भूमि
6	भगवानसिंह मलखनसींग पिता सूरतसींग भगुन्तीबाई वेवा सूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/1	0.960	0.090	कृषि भूमि
7	मंगलसींग वल्द प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	63	0.810	0.340	कृषि भूमि
8	जगमानसिंह पिता जोधनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	64	1.220	0.010	कृषि भूमि
9	बलराम पिता सिब्बे काछी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	66	0.480	0.260	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	68/1	0.070	0.010	कृषि भूमि
10	संजय पिता मणीलाल रामकली वेवा मणीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	67	0.370	0.020	कृषि भूमि
11	मुलायम सिंह पिता दलीप सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	73	1.070	0.060	कृषि भूमि
12	कड़ोरी पिता ननेसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	74	0.660	0.220	कृषि भूमि
13	लच्छू पिता चेतू पानबाई कुशुर्माबाई पुत्री चेतू वेवा चेतू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	75	0.410	0.080	कृषि भूमि
14	परशोत्तम पिता देवसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	78/2	0.150	0.100	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	79/2	0.030	0.020	कृषि भूमि
15	रतीराम नारन सुखराम पिस. वंशी बड़ीबहू वेवा वंशी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	91	0.450	0.010	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	92	0.320	0.120	कृषि भूमि
16	चौदे पिता फूलसींग बेसलीवारी वेवा फूलसींग कुन्दन जगत हल्काई पिता नंना सौर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	93	0.700	0.180	कृषि भूमि
17	विक्रमसींग पिता हीरासींग नन्नीबाई वेवा हीरासींग रूपसींग पिता दौलतसींग भबूदसींग शेरसींग लक्ष्मनसींग पिता धीरे लललीबाई सिलोचना पिता धीरे फूलाबाई वेवा धीरे राजमहेन्द्र अमरसिंह पिस यतनसिंह गायत्री वेवा यतनसिंह साकिन रिछाई भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	134	1.220	0.470	कृषि भूमि
18	केशरबाई पति शिवराज सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	135	0.150	0.010	कृषि भूमि
19	कल्याण सिंह पिता सूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	147/1	0.790	0.010	कृषि भूमि
20	ऋषिराज पिता खूबसींग साकिन सेमरादांत भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	147/2	0.790		कृषि भूमि

21	हेमलता जोजे राजमहेन्द्र सिंह साकिन रीछई भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	148	0.870	0.380	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	149	0.020	0.010	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	151	0.840	0.270	कृषि भूमि
22	भगवानसींग खुमानसींग अमोल चंदनसींग पिता मोतीसींग पानबाई पुत्री लक्ष्मन सींग कड़ोरे मेघराज राजमहेन्द्र पिता सिरदारसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	153/1	1.070	0.100	कृषि भूमि
23	प्रमोद कुमार पिता गनपत साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	157/1	0.300	0.050	कृषि भूमि
24	कोमलसींग भगवानसींग पिता भानप्रताप जानकीबाई देवा भानप्रताप साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	157/2	1.390	0.230	कृषि भूमि
25	संतोषरानी पति हरिराम विश्वकर्मा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	157/3	0.400	0.200	कृषि भूमि
26	हरीराम लक्ष्मीशंकर पिता गुलाबचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	161	0.700	0.100	कृषि भूमि
27	भैयाराम पिता बाबूसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	224	1.580	0.430	कृषि भूमि
28	शिवराज सिंह पिता गनेश सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	226	1.330	0.300	कृषि भूमि
29	गजराजसींग शिवराजसींग देशराजसींग पिता गनेश सींग गोमतीबाई देवा गनेश सींग सौरभ गौरव नाबालिग पिता उदयमान वली व खुद माँ सुनीता देवा उदयमान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	232	1.560	0.400	कृषि भूमि
योग:-			34	23.870	5.480	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्र. 08-अ-82-20-21-3843

## मौजा पजनारी पट.ह.नं.-34 तहसील बण्डा

## :: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-I-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : बण्डा
  3. ग्राम : पजनारी
  4. पट.ह.नं.- : 34
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.960 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा. चन्द्रभान ना.बा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	805	0.660	0.230	कृषि भूमि
2	प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा. चन्द्रभान ना.बा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	806	0.640	0.190	कृषि भूमि
3	महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	813	1.070	0.300	कृषि भूमि
4	मुलूसींग पिता देवसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	817/1	0.180	0.120	कृषि भूमि
5	अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	814/2	1.510	0.350	कृषि भूमि
6	अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	818	1.050	0.240	कृषि भूमि
7	सीताराम खेतसिंह पिता रूपसींग लोधी साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	815/1	0.570	0.130	कृषि भूमि
8	रामाधार कमलप्रसाद शिवप्रसाद रामसहाय पिता बाबूलाल रजक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	815/2	0.600	0.130	कृषि भूमि
9	रामसींग पिता हरीसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	817/2	0.180	0.110	कृषि भूमि
10	बहादुरसींग राजासींग रविन्द्रसींग पिता लक्ष्मणसींग लोधी साकिन खुवारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	838/2	2.080	0.020	कृषि भूमि
11	निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	840	0.540	0.300	कृषि भूमि

12	निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई देवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	812	1.780	0.240	कृषि भूमि
13	निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई देवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	850/1 371/1	0.730	0.160	कृषि भूमि
14	वीरनसींग हाकमसींग सीताराम खेतसींग पिता रूपसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	841	0.620	0.340	कृषि भूमि
15	महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	874/1	0.810	0.200	कृषि भूमि
16	महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	850/1 371/2/1	0.800	0.170	कृषि भूमि
17	महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	850/1 371/2/2	0.230		कृषि भूमि
18	मुलूसींग पिता देवसींग निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई देवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग साकिन पजनारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	874/2	0.400	0.200	कृषि भूमि
19	अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	875	0.260	0.110	कृषि भूमि
20	वीरनसींग हाकमसींग पिता रूपसिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	876	1.280	0.420	कृषि भूमि
योग:-			20	15.990	3.960	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 09-अ-82-20-21-3844

## मौजा खुवारी पट.ह.नं.-32 तहसील बण्डा

## :: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-I-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : बण्डा  
 3. ग्राम : खुवारी  
 4. पट.ह.नं.- : 32  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 11.100 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मंगलसींग भगतसींग पिता गनेश सिंह लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	20/1	1.200	0.120	कृषि भूमि
2	चंदनसींग रामराजसींग गजेन्द्र सींग पिता महतापसींग राजदीप ना.बा.वली मौं व खुद कौशिल्या वेवा रामरक्षपाल लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	20/2	1.850	0.100	
3	कल्याण वल्द घपू साहू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	27	0.170	0.010	
		भूमिस्वामी	28	0.200	0.200	
4	भगवानदास वल्द मकुन्दी साहू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	29	0.640	0.050	
5	भगवादास रामदास टुण्डे उर्फ बैजनाथ पिता मकुन्दी साहू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	31	1.020	0.040	
		भूमिस्वामी	36	0.770	0.230	
6	थोवन पिता घूरे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/1	0.460	0.140	
7	लक्ष्मनसींग पिता जुझारसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/2	0.360	0.110	
		भूमिस्वामी	488	0.410	0.170	
		भूमिस्वामी	490	0.190	0.140	
8	नारान पिता घूरे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/3	0.450	0.080	
9	द्वारका पिता घूरे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/4	0.100	0.030	
10	गन्ता श्यामबाई हल्ली बेजन्ती मुखमल पिता घूरे सा. देह	भूमिस्वामी	35/5	0.090	0.080	
11	किशोरी अजय पिता विश्राम सिंह राजरानी वेवा विश्राम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	785	0.340	0.020	
		भूमिस्वामी	799	0.450	0.020	
		भूमिस्वामी	800	1.180	0.530	

12	किशोरी अजय पिता विश्राम सिंह लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	802	0.260	0.010
13	महेन्द्र सिंह पिता गुमान सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	38	0.270	0.210
14	पूनाबाई अंगूरी मेंदाबाई गुनगुच राधाबाई पुत्री जवाहरसींग हल्कीबहू वेवा कच्छेदी जमनाबाई रम्बो फूलाबाई पुत्री किशनसींग बेटीबाई वेवा रूपसींग रमेश गंधर्व ऊधम पिता ब्रजरानी वेवा जवाहरसींग रतीराम नन्हेबहू वेवा रतीराम	भूमिस्वामी	39	0.350	0.170
		भूमिस्वामी	43	0.090	0.080
		भूमिस्वामी	787	0.150	0.010
15	गोपतसींग बलवंतसींग शेरसींग पिता नथूसींग नईबहू वेवा नथूसींग थानसींग वल्द जनकसींग महेन्द्र पिता नामालूम साकिन मगरधा मोहन पिता हरीसींग साकिन हिण्डोरिया गायेन्द्र चंदन पिता लोकमन लोधी साकिन देह मालती पुत्री लोकमन साकिन रतनपुर रामकली पुत्री मानसींग साकिन देवपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	44	0.420	0.280
		भूमिस्वामी	464	0.130	0.080
		भूमिस्वामी	701	0.110	0.090
		भूमिस्वामी	796	0.150	0.010
16	देवीसींग वल्द रंधीसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	45	0.350	0.090
17	सत्यपालसींग कैलाशसींग पर्वतसींग पिता गुलझारसींग गुलझारसींग वल्द गबदू सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46	1.000	0.070
18	महतापसिंग पिता जशरथसींग साकिन खुवारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298	0.860	0.120
		भूमिस्वामी	300	0.670	0.130
		भूमिस्वामी	301/2	0.480	0.200
		भूमिस्वामी	302	0.980	0.020
19	सुखसींग पिता लक्ष्मनसींग देवीसींग दौलतसींग पिता धोकलसींग कल्लोबाई वेवा अपरबल उत्तम सुरेन्द्र पिता	भूमिस्वामी	299	0.570	0.050
20	देवीसींग सुखवती अनीता पुत्री देवीसींग सिलोचना वेवा जगमान लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	894	0.470	0.110
21	सुखसींग वल्द लक्ष्मनसींग देवीसींग दौलतसींग पिता धोकलसींग कल्लोबाई वेवा अपरबल सुलोचना वेवा जगमान उत्तम सुरेन्द्र पिता देवीसींग सुखवती अनीता पुत्री देवीसींग रामसींग वल्द लक्ष्मनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	704	0.370	0.050
22	टिंकू रिंकू ब्रजेश पिता नथू सिंह, सविता पुत्री आधारसींग, मालती वेवा नथूसिंह प्रेमसींग पिता उमराव उदल पिता उमराव साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	304	0.420	0.260
23	कुंजनसींग पिता खलकसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305	0.270	0.250
24	जाहर हाकम प्रीतम जगदीश पिता सूरतसींग श्यामबाई वेवा सूरतसींग लोधी सुबह नाबा. पुत्र रमेश आरती नाबा. प्रीति नाबा. पुत्रिया रमेश पालक व स्वयं माँ शारदा वेवा रमेश कीर्ति पुत्री रमेश साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	306	0.410	0.120
25	टीकाराम वल्द परमू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408	0.240	0.020
26	भीकम पिता नाथू गुलाबरानी वेवा नथू साकिन देह	भूमिस्वामी	409	0.450	0.090
27	सुखवती पुत्री देवीसींग साकिन खुवारी दौलत पिता धोकलसींग साकिन सागर, अनीता पुत्री देवीसींग अमोलसींग पिता नारायणसींग लोधी साकिन खुवारी	भूमिस्वामी	462	0.950	0.010
		भूमिस्वामी	463	0.160	0.150
28	फेरनसींग पिता नारायणसींग नन्हेलाल पिता नारायणसींग रघुराजसींग पिता नारायणसींग प्रहलादसींग पिता नारायणसींग अमोलसींग पिता नारायणसींग क्रांति पुत्री नारायणसींग मञ्जलीबिन्ना हल्कीबिन्ना पुत्री नारायणसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	465	0.200	0.070
		भूमिस्वामी	466	0.680	0.080
		भूमिस्वामी	702	0.100	0.090
		भूमिस्वामी	703	0.470	0.320
		भूमिस्वामी	790	0.290	0.130
29	बृजलाल पिता खूबे भागचंदन पिता खूबे साकिन सागर	भूमिस्वामी	480	0.330	0.240
30	सियारानी पति जूजे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	481	0.380	0.340
31	राजेन्द्र सिंह महेन्द्र सिंह पिता गुमान सिंह मंगल सिंह भगत सिंह पिता गनेश सिंह चंदन सिंह रामरक्षपाल सिंह पिता महताब सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	482	1.220	0.310
32	अरजन पिता जुझारसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	487/2	0.500	0.050
33	नारायणसींग वल्द फूलसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	491	0.280	0.210
		भूमिस्वामी	511	0.310	0.010
		भूमिस्वामी	696	0.470	0.370

34	सोवतसींग पिता रगवीर सींग मोहनबाई हल्की बिन्ना पुत्रिया रगवीर लोधी राजेन्द्र नाबा पिता शेरसींग नीता बा. रूपा नाबा. पुत्री शेरसींग पालक चाचा भोपालसींग शैलेन्द्र चन्द्रमान परमसींग पिता भोपाल भगवानसींग नाबा. राकेश नाबा. पिता गोपाल पालक मा स्वयं गीताबाई बबीता शकुन पुत्रियां भोपालसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	492	0.090	0.080
		भूमिस्वामी	512	0.230	0.070
35	ममता पुत्री बैनीबाई देवा पुन्ना साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	493/1	0.040	0.020
36	सुहागरानी पति भैयालाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	493/2	0.060	0.020
37	तुलसी उर्फ अरजन पिता जूजे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	513/1	0.890	0.270
38	नथू देवकरन रतीराम पुत्र फुंदन रामबाई पुत्री फुन्दन साकिन पापेट मथराबाई देवा फुन्दन साकिन हनीता उबारी	भूमिस्वामी	519	1.700	0.060
39	विश्राम भैयाराम डोमन द्वारका पिता प्यारेलाल लाडलीबाई देवा प्यारेलाल साकिन खुवारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	794/1	0.220	0.110
40	बाबूसींग वल्द चिंखे लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	801	0.240	0.060
41	रामसींग वल्द किशोरी पटैल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	794/2	0.250	0.080
		भूमिस्वामी	687	0.450	0.010
42	लक्ष्मण सींग पिता देवीसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	795	0.270	0.110
		भूमिस्वामी	786/2	0.080	0.010
43	गोरेलाल पिता बोरा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	758	0.170	0.100
44	राजू नाबा. वल्द हरदास पालक व खुद माँ हल्कीबहू देवा हरदास राधा पुत्री हरदास संतोष गोपाल पिता भगवानदीन सुनीता पुत्री भगवानदीन बड़ीबहू देवा भगवानदीन सा. देह	भूमिस्वामी	763/1	0.100	0.010
		भूमिस्वामी	764/1	0.090	0.090
45	मनोहर पिता गोरलाल रजक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	764/2	0.430	0.370
46	माखनसींग वल्द फूलसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	765/1	1.010	0.280
		भूमिस्वामी	765/2	1.060	0.290
47	अजयसंग वल्द विश्रामसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	798	0.140	0.110
48	जीराबाई जोजे गोपतसिंह गुडडीबाई जोजे बलवंतसिंह रामवती जोजे शेरसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	807	1.100	0.520
49	लक्ष्मीबाई जीराबाई पति गोपतसींग लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	890	0.900	0.220
50	महेन्द्र कुमार वीरेन्द्र कुमार ना.बा.पालक पिता विन्दावन वल्द बाबूलाल रजक साकिन सेमरा बाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	892	0.750	0.070
51	देवीसींग दौलतसींग धोकलसींग कल्लोबाई देवा अपरबल सिलोचना देवा जगमान उत्तम सुरेन्द्र देवीसींग सुखवती अनीता पुत्री देवीसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	893/1	0.360	0.070
52	पुष्पेन्द्र कुमार वल्द विन्दावन रजक साकिन सेमराबाग सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	893/2	0.100	0.100
53	महेन्द्र कुमार पिता विन्दावन रजक साकिन सेमराबाग	भूमिस्वामी	893/3	0.050	0.050
54	वीरेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता विन्दावन रजक साकिन सेमराबाग सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	893/4	0.100	0.100
55	राजासिंह वल्द लक्ष्मण सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	895	0.680	0.270
56	बहादुर सींग रविन्द्र सींग पिता लक्ष्मणसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	897	0.650	0.310
		भूमिस्वामी	898	0.890	0.260
57	मथुराप्रसाद पिता गोरेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	708/3	0.060	0.010
योग:-			84	38.850	11.100

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 11-अ-82-20-21-3849

### मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं.-16 तेहसील बण्डा

#### :: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-I-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तेहसील	:	बण्डा
3. ग्राम	:	हनौता उबारी
4. पट.ह.नं.-	:	16
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	0.630 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			
1	कुंजन पिता केशरीसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	692/2	0.600	0.020	कृषि भूमि
2	संतोष कुमार पिता जालचंद साकिन बण्डा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	695/1	2.360	0.560	कृषि भूमि
3	सौरभ नाबालिग वल्द व वली टेकचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	696/2	0.800	0.050	कृषि भूमि
योग:-			03	3.760	0.630	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 43 के तहत भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 10-अ-82-20-21-3845

## मौजा सेमरादांत पट.ह.नं.-29 तहसील बण्डा

## :: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : बण्डा  
 3. ग्राम : सेमरादांत  
 4. पट.ह.नं.- : 29  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 7.980 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	करन पिता धरमा साहू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	17/3	0.240	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	18/3	0.260	0.160	कृषि भूमि
2	सौरभ ना.गौरव बा. खेतसींग ना.बा. पिता जमना पालक व खुद माँ ऊषाबाई देवा जमना साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	17/4	0.240	0.130	कृषि भूमि
3	मोहन पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	18/1	0.270	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	202/3	0.550	0.240	कृषि भूमि
4	पार्वती पति मोहन रजक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	18/2	0.270	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	18/6	0.260	0.060	कृषि भूमि
5	कुन्नु पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	18/5	0.260	0.060	कृषि भूमि
6	रविन्द्र सिंह पिता नरेन्द्र सिंह उर्फ भारत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	19/1	1.530	0.440	कृषि भूमि
7	कुवरबाई देवा माखन राजाबेटी पुत्री माखनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	19/3	2.080	0.080	कृषि भूमि
8	भगवानसींग पिता मंगलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	20/1	1.220	0.220	कृषि भूमि
9	भारतसींग उर्फ नरेन्द्रसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	20/2	0.800	0.180	कृषि भूमि
10	हरीबाई पति मुकेश साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	22/1	0.420	0.140	कृषि भूमि
11	चन्द्रानी पति रामसींग गड़रिया साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	22/3	0.430	0.140	कृषि भूमि
12	मनोहर पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/1	0.490	0.010	कृषि भूमि



13	पारवती जोजे घसीटे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/2	1.010	0.010	कृषि भूमि
14	सुदामा नरेश संतोष गब्बर पिता हजारी सरस्वती पुत्री हजारी नन्नीबाई देवा हजारी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/3	0.900	0.010	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	42/4	0.540	0.010	कृषि भूमि
15	काशीराम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/5	0.480	0.010	कृषि भूमि
16	परशोत्तम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/6	0.480	0.010	कृषि भूमि
17	प्रेमबाई देवा मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43	0.170	0.170	कृषि भूमि
18	साहब सींग पिता रंधीरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	44	0.170	0.170	कृषि भूमि
19	दशोदाबाई देवा देवीसींग राजकुमारी पुत्री इंदरसींग रुकमनबाई किशनबाई पुत्री मुन्नासींग साकिन देह	भूमिस्वामी	45	0.150	0.040	कृषि भूमि
20	मोहनसींग पिता भदई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46/2	0.300	0.120	कृषि भूमि
21	नरेन्द्र प्रसाद पिता रविशंकर साकिन बण्डा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46/3	0.400	0.170	कृषि भूमि
22	युवराजसिंह पिता वीरसिंह साकिन मगरघा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	50	0.220	0.010	कृषि भूमि
23	कमलाबाई पुत्री भैयालाल लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	51	0.210	0.040	कृषि भूमि
24	जालम पिता बबुआ रजुवा गोविन्दा पिता अपरा अरविन्द श्रीकांत नाबालिग पिता मिहीलाल वली व मॉ खुद केशरबाई देवा मिहीलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	55	0.180	0.060	कृषि भूमि
25	घरणदास पिता ललजुवा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/1/1	0.050	0.040	कृषि भूमि
26	देवी पिता ललजुवा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/1/2	0.060	0.050	कृषि भूमि
27	कमलेश पिता करन काशीराम पिता करन सरस्वती देवा करन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/1/3	0.050	0.040	कृषि भूमि
28	मनमोहन पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/2	0.110	0.090	कृषि भूमि
29	वीरन पिता फूलचंद अहिरवार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/3	0.100	0.080	कृषि भूमि
30	मलखान पिता गिरधारी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	59	0.830	0.110	कृषि भूमि
31	कल्याण सींग पिता सूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	62/1	1.040	0.010	कृषि भूमि
32	रामसींग पिता हनमतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	62/2	0.400		कृषि भूमि
33	चतुरसींग उर्फ मन्दू पिता कुंजी पारवती देवा कुंजी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	89	0.470	0.260	कृषि भूमि
34	धनसींग पिता बन्दूसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	92/1	0.620	0.290	कृषि भूमि
35	तुलसीराम पिता रज्जीलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/2	0.600	0.230	कृषि भूमि
36	भगवतशरण पिता तुलसीराम मिश्रा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/3	1.600	0.240	कृषि भूमि
37	दुर्गेश पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/2	0.990	0.220	कृषि भूमि
38	प्रेमनारायण पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/3	1.000	0.220	कृषि भूमि
39	कल्लोबाई जोजे अन्नूसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/2	1.600	0.310	कृषि भूमि
40	लक्ष्मीबाई जोजे युवराज सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	198/1	0.460	0.010	कृषि भूमि
41	मूलचंद बा.धानसींग नाबा.पिता चिंखा वली व खुद मॉ दोपतीबाई देवा चिंखा पटेल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	201	0.430	0.230	कृषि भूमि
42	किशोरी पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	202/1	1.060	0.060	कृषि भूमि
43	भरतसींग पिता मूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	203/1	0.780	0.290	कृषि भूमि
44	गुलाब पिता पिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	204	0.400	0.100	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	209/1	0.720	0.120	कृषि भूमि
45	घनश्याम पिता पिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	209/2	1.440	0.270	कृषि भूमि
46	रगवर रामचरण सेवम पिता धुन्धे साकिन खुवारी	भूमिस्वामी	208	0.630	0.190	कृषि भूमि
47	श्रीराम पिता मूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	211/1	0.650	0.060	कृषि भूमि
48	जनकसींग पिता मूरतसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	211/2	0.660	0.100	कृषि भूमि
49	उमाशंकर पिता रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	258/1	2.060	0.250	कृषि भूमि
50	नारायण पिता रगवर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	259	1.030	0.170	कृषि भूमि
51	मोनसींग हीरा रामप्रसाद विजय पिता भदई रामकली देवा भदई मुलाबाई उर्फ रोड़ावारी पुत्री भदई साकिन देह	भूमिस्वामी	278	0.930	0.270	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	279	0.240	0.150	कृषि भूमि
52	भागबाई पति गफ्फू अहिरवार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	280/2	0.400	0.220	कृषि भूमि
53	उमाशंकर देवेन्द्र पिता रामेश्वर प्रसाद चन्द्रवती देवा रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	281	0.040	0.040	कृषि भूमि

54	मैयाराम पिता हजारी, पानसींग पिता हजारी, संझलीबहू पिता हजारी साकिन सेमरादांत भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	282/1	0.130	0.010	कृषि भूमि
55	पार्वती पुत्री सरू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	248	0.100	0.030	कृषि भूमि
56	महेश दिनेश सुरेन्द्र उमेन्द्र उमाकांत पिता शालकराम आशाबाई ऊषाबाई पुत्री शालकराम राधारानी वेवा शालकराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260	0.830	0.270	कृषि भूमि
योग:-			62	37.040	7.980	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 20-अ-82-20-21-2842

सागर, दिनांक 20 मार्च 2020

मौजा ~~किशनगढ़~~ पट.ह.नं. 35 तहसील रहली जिला सागर  
**:: सार्वजनिक सूचना ::**

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की किशनगढ़ जलाशय योजनान्तर्गत बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से 500 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : **किशनगढ़ जलाशय योजनान्तर्गत बाँध निर्माण**  
(2) भूमि का विवरण-  
1. जिला : सागर  
2. तहसील : रहली  
3. ग्राम : किशनगढ़  
4. पट.ह.नं. : 35  
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 52.28 हेक्टे.

**:: अनुसूची-1 ::**

क्र. स.	नाम भूमि स्वामी/पिता-पति का नाम निवास	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित ख. नं.	कुल रकवा हे. में.	अर्जित रकवा हे. में.	शेष रकवा	रिमार्क
1	2		3	4	5	6	7
1	नारायण पिता कल्लू ताराबाई, उमाबाई पुत्री कल्लू	भूमि स्वामी	14/1	1.74	1.40	0.34	
	नरान पिता कल्लू	भूमि स्वामी	15/2	0.80	0.80	0.00	
	नरान पिता कल्लू	भूमि स्वामी	88	1.54	1.54	0.00	
2	राजदुलारी पति लीलाधर	भूमि स्वामी	15/1	1.40	1.40	0.00	
3	भजन, संतोष वल्द लीलाधर	भूमि स्वामी	15/3	1.60	1.60	0.00	
4	लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद वल्द फुन्दीलाल	भूमि स्वामी	20	0.28	0.28	0.00	
			68	1.33	1.33	0.00	
			82	3.88	3.88	0.00	
			89	2.17	2.17	0.00	
5	लीलाधर वल्द मोतीलाल	भूमि स्वामी	21	0.27	0.27	0.00	
			60	0.59	0.14	0.45	
			70	3.16	3.16	0.00	
			73/3	0.32	0.32	0.00	
6	उदेमान पिता सुन्दरलाल	भूमि स्वामी	92/1	0.73	0.73	0.00	
			93/1	0.11	0.11	0.00	
7	गोकल वल्द दयाराम	भूमि स्वामी	61	0.77	0.77	0.00	
8	पवन कुमार, रामकृष्ण पिस. जगदीश, श्यामसुंदर, रमाकांत नाबा. व वली जगदीश	भूमि स्वामी	62	0.30	0.30	0.00	

	मनोज कुमार, ललितकुमार पिस. नारदप्रसाद	भूमि स्वामी	63/1	0.12	0.12	0.00
10	रमाकांत, श्यामसुन्दर ना.बा. पिता व वली जगदीश पिता बैजनाथ	भूमि स्वामी	63/2	0.18	0.18	0.00
11	रामसींग, रघुवीर, भगवानदास पिस. रामचरण रामवती पुत्री रामचरण जनकरानी वेवा रामचरण	भूमि स्वामी	64	1.11	1.11	0.00
12	भैयाराम, घनश्याम पिस. प्यारेलाल	भूमि स्वामी	65	0.57	0.57	0.00
13	प्यारेलाल वल्द दयाराम	भूमि स्वामी	66/1	0.05	0.05	0.00
14	विपिनकुमार पिता हरीशचन्द्र	भूमि स्वामी	66/2	0.40	0.40	0.00
15	गोकल वल्द दयाराम	भूमि स्वामी	67	0.77	0.77	0.00
16	रूपसींग, रघुनाथसींग, भगवानदास पिस. रामचरण	भूमि स्वामी	69	1.15	1.15	0.00
17	जानकीबाई, गिरजाबाई, सावित्री बाई पुत्री कन्हैयालाल, कुसुमरानी वेवा कन्हैयालाल	भूमि स्वामी	73/1	0.33	0.33	0.00
18	मुकेश, परसराम पिस. महादेव सावित्री, नीमाबाई पुत्रियों महादेव	भूमि स्वामी	71/1	0.12	0.12	0.00
	मुकेशकुमार वल्द महादेवप्रसाद	भूमि स्वामी	91/1	1.20	1.20	0.00
19	ज्योति शर्मा जोजे विपिन कुमार शर्मा	भूमि स्वामी	71/2	1.31	1.31	0.00
20	प्रकाश कुमार पिता घनश्याम	भूमि स्वामी	73/2	1.47	1.47	0.00
21	आशाराम, नर्मदाप्रसाद वल्द हरीराम सम्मतबाई पुत्री हरीराम	भूमि स्वामी	74	1.40	1.40	0.00
22	देवेन्द्र पिता घनश्याम प्रसाद	भूमि स्वामी	75/1	1.50	1.50	0.00
23	प्रदीप पिता घनश्याम प्रसाद	भूमि स्वामी	75/2	1.36	1.36	0.00
24	चूरामन, हल्कू, भजन, खरगराम, मुकेश ना.बा. पिता बलराम पा. माँ जनकरानी वेवा बलराम साहू	भूमि स्वामी	76	0.97	0.97	0.00
25	मानसींग बल्द छुट्टी	भूमि स्वामी	77	0.81	0.81	0.00
26	बलराम वल्द गनेश	भूमि स्वामी	78	1.84	1.84	0.00
27	वीरेन्द्र कुमार वल्द फुन्दीलाल	भूमि स्वामी	79	1.82	1.82	0.00
28	रूपसींग, रघुवीर, भगवानदास पिता रामचरण जनकरानी वेवा रामचरण रामवती पुत्री रामचरण मानसींग पि.छुट्टी बेटाबाई सुमनबाई पुत्री छुट्टी शिबू काशीराम रतिराम नन्हेभाई मोहन पिता छुट्टी कल्लोबाई पुत्री छुट्टी शेव पिता रमेश सदारानी वेवा रमेश	भूमि स्वामी	80/1	0.84	0.44	0.40
29	मानसींग बल्द छुट्टी	भूमि स्वामी	80/2	0.17	0.17	0.00
30	सूर्यकांत वल्द श्यामसुन्दर	भूमि स्वामी	81	1.85	1.85	0.00
31	पार्वती बाई जोजे तुलसीराम	भूमि स्वामी	83/1	0.79	0.79	0.00
			84/4	0.40	0.40	0.00
32	विद्याबाई पति कामताप्रसाद	भूमि स्वामी	83/2	0.78	0.78	0.00
			84/1	0.40	0.40	0.00
33	गुलाबरानी जोजे परशराम	भूमि स्वामी	84/2	0.40	0.40	0.00
			85/2	0.82	0.82	0.00

34.	संध्यारानी जोजे प्रीतम	भूमि स्वामी	84/3	0.40	0.40	0.00
			85/1	0.82	0.82	0.00
35	राधेश्याम पिता तेजीजाल	भूमि स्वामी	86	1.43	1.43	0.00
36	नन्हूराम पिता प्यारेलाल	भूमि स्वामी	87	1.43	1.43	0.00
37	वीरेन्द्र कुमार बल्द फुन्दी	भूमि स्वामी	90	2.17	2.17	0.00
38	परशुराम बल्द महादेव	भूमि स्वामी	91/2	0.53	0.53	0.00
39	संतोबाई पुत्री छुट्टी	भूमि स्वामी	92/2	0.36	0.36	0.00
			93/2	0.05	0.05	0.00
40	मुलाबाई पुत्री छुट्टी	भूमि स्वामी	92/3	0.36	0.36	0.00
कुल				53.47	52.28	1.19

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 8 जून 2020

क्र. 1904-भू-अर्जन-प्र. क्र. 2019-20—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	बकेली	0.340	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.	बाबाकुटी-बकेली मार्ग पर सोन नदी के पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग रीवा (म. प्र.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1905-भू-अर्जन-प्र. क्र. 2019-20—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	पसला	0.526	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.	बिजौड़ी-पसला मार्ग में सोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग रीवा (म. प्र.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी 2020

क्र. 950-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
(ख) तहसील—खैरलांजी  
(ग) नगर/ग्राम—दैतबरी, प.ह.नं. 02, रा.नि.मं. सालेबर्डी  
(घ) अर्जित किये जाने—0.341 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल वाला प्रस्तावित पर आने वाली संपत्तियां. क्षेत्रफल.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
314/5	0.023
234-235/21	0.065
234-235/14	0.021
527/43	0.046
312/4-311/6	0.458
301/5	0.039
258/10-261/9	0.016

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ग्राम दैतबरी तहसील खैरलांजी में मांयनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [dmbalaghat@nic.in](mailto:dmbalaghat@nic.in) एवं म. प्र.

शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mpvenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जून 2020

क्र. 2948-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खैरीलदू, प.ह.नं.-45, ब. नं.-118, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.633 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/1	0.140

5/3	0.140
5/5	0.096
6	0.130
35/1	0.048
36/1	0.079

कुल रकबा. . 0.633 हेक्टर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन, संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्र. 1 सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 जुलाई 2020

पत्र क्र. 182-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा क्रमांकों की भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) ग्राम—करही  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.400 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
31/1	3.783	0.400

योग . . 0.400

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. 1, रीवा अन्तर्गत प्रस्तावित रीवा जिले के अन्तर्गत गुप्ता पेट्रोल पम्प से मण्डी पहुंच मार्ग व्हाया चिन्मय आश्रम मार्ग के नव निर्माण में प्रभावित होने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इलयाराजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.